मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को एक निजी होटल में जेनपैक्ट ग्लोबल मीट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सभी के प्रयासों से नए राजस्थान, बदलते राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का सपना साकार होगा।

'राज्य सरकार ने अपने पहले ही बजट में कैपिटल एक्सपैंडिचर में 65 % से अधिक वृद्धि की है'

मु.मंत्री भजनलाल ने यह भी कहा कि, राज्य सरकार ने एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सिस्को व अडोबी जैसी कम्पनियों से साझेदारी की है। इससे बड़ी संख्या में इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल रहा है

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को एक निजी होटल में जैनपैक्ट ग्लोबल मीट को सम्बोधित किया और जेनपैक्ट के गठन के 20 साल पूरे होने पर बधाई दी और कहा कि जयपुर और जोधपुर में जैनपैक्ट में कार्यरत 8 हजार लोगों में से 90 प्रतिशत स्थानीय हैं।**

जयपुर, 13 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके लिए सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में निवेश बढ़ ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सभी के प्रयासों से नए राजस्थान, बदलते राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का सपना साकार होगा।

शर्मा गुरूवार को एक निजी होटल में जेनपैक्ट ग्लोबल मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जेनपैक्ट के गठन के 20 वर्ष पूरे होने की बधाई देते हुए कहा कि जयपुर और जोधपुर में जेनपैक्ट में कार्यरत लगभग 8 हजार लोगों में 90 प्रतिशत से अधिक काम करने वाले स्थानीय हैं। यह पूरा इको-सिस्टम राज्य में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में भी जेनपैक्ट ने निवेश कर हजारों लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिन्हीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए पूरा सहयोग कर रही है।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में ही कैपिटल एक्सपैंडिचर में 65 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को और अधिक बढ़ ाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सिस्को, अडोबी जैसी अनेक कंपनियों से साझेदारी की गई है। इससे बड़ी संख्या में इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जेनपैक्ट के सीईओ बी.के. कालरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में निवेश में अभूतपूर्व काम हो रहा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट से निवेशकों के लिए राज्य में निवेश की नई राह खुली है। उन्होंने कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जेनपैक्ट वर्तमान में राज्य में हजारों युवाओं को रोजगार दे रही है तथा आगे भी प्रदेश के विकास में वे अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएंगे।

इस अवसर पर जेनपैक्ट के कंन्ट्री हैड पीयूष मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल सहित अधिकारीगण, जेनपैक्ट कंपनी के अधिकारी एवं देश-विदेश से आए प्रतिभागी उपस्थित रहे।

'20 माह पहले ही लगा देते राष्ट्रपति शासन तो इतना नुकसान नहीं होता'

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन यदि 20 माह पहले ही लगा दिया होता तो वहां नागरिक हिंसा में मारे नहीं जाते और हजारों लोगों को विस्थापित नहीं होना पड़ता। पार्टी ने कहा है कि मणिपुर में आखिरकार वही हुआ जिसकी मांग कांग्रेस पिछले 20 माह से कर रही है, अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मणिपुर में राष्ट्रपति

- **मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस ने कहा।**

शासन लगाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह तब हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में संविधानिक तंत्र के पूर्ण रूप से ठप्प हो जाने की बात कही, जिसके चलते 03 मई 2023 से अब तक 300 से अधिक लोगों की हत्या और 60,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का विस्थापन हुआ। यह तब हुआ है जब मणिपुर के सामाजिक ताने-बाने को गंभीर रूप से क्षति पहुंचने दी गई। यह तब हुआ है जब फरवरी 2022 में भाजपा और उसके सहयोगियों को भारी बहुमत मिला लेकिन उनकी राजनीति ने महज़ पंद्रह महीनों के भीतर इस भयानक त्रासदी को जन्म दिया।

उन्होंने कहा यह तब हुआ है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर की स्थिति संभालने में पूरी तरह से विफल रहे जबकि इस दायित्व को प्रधानमंत्री ने उन्हें सौंपा था और यह तब हुआ है जब दुनिया भर में घूमने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर जाने और वहां सुलह प्रक्रिया शुरू करने से लगातार इन्कार करते रहे।

नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय नया इनकम टैक्स बिल लाने की घोषणा की थी

- **नए बिल में कर प्रणाली का सरलीकरण करने पर जोर दिया गया है।**
- **नए बिल में 536 सैक्शन, 16 अनुसूचियां व 23 चैप्टर्स हैं।**

नई दिल्ली, 13 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इन्कम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा में पेश कर दिया। यह बिल पुराने आयकर कानून से काफी अलग है। इस बिल के तहत टैक्स फाइलिंग से जुड़ी जटिलताओं को खासतौर पर कम करने की कोशिश की गई है। निर्मला सीतारमण ने सदन में इस बिल को पेश करते हुए कहा कि नए बिल के तहत शब्दों की संख्या घटाई गई है। लोकसभा में पेश किए गए इस नए बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इन्कम टैक्स एक्ट 2025 पहले से सरल, पारदर्शी और टैक्सपेयर के अनुकूल बनाने का दावा किया गया है। ज्ञातव्य है कि बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते समय इस बात का ऐलान किया था कि केंद्र सरकार नया आयकर बिल लेकर आ रही है।

नए टैक्स नियमों का बिल के पारित होने के बाद कई नए शब्दों का चलन बढ़ जाएगा। जैसे पहले फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असैसमेंट ईयर और ऐसे ही कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं अब इनकी जगह टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे टैक्सपेयर्स को समझने में आसानी होगी।

नए बिल के तहत छूट से लेकर नए नियमों को अलग-अलग सैक्शन में विस्तार से बताया गया है। नए बिल के तहत कुल 536 सेंक्शन, 16 अनुसूचियां और कुल 23 चैप्टर्स हैं।

मौजूदा कानून में कुल 14 अनुसूचियां हैं लेकिन अब नए बिल में इसकी संख्या को बढ़ाकर 16 कर दिया गया है।

सरकार ने नए आयकर विधेयक 2025 को अप्रैल 2026 से तक लागू करने का प्रस्ताव दिया है। यानी यह साफ है कि नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है।

नए कानून के तहत टोटल इन्कम कैलकुलेशन के लिए होम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन से इन्कम समेत कुछ धाराओं या अनुसूचियों के तहत कोई छूट या कटौती नहीं होगी।

नए कानून के तहत डिफेंस सर्विस, जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिली ग्रेच्युटी को टैक्स से छूट दी जाएगी। मेडिकल, होम लोन, पीएफ, हायर एजुकेशन पर लोन जैसे लोन्स पर टैक्स छूट जारी रखी गई है।

कहा जा रहा है कि नए बिल के कानून बनते ही अंग्रेजों के जमाने के ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा। इन शब्दों का इस्तेमाल बीते 60 साल से किया जा रहा है। साथ ही इन्कम टैक्स के नियमों में इस्तेमाल की भाषा को भी सरल बनाया जाएगा ताकि कोई भी आम इंसान इसे आसानी से समझ सके।

अमेरिका में भारी समर्थन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तुलना में गैर-सहयोगी राज्यों और शहरों की संघीय निधि रोकने के पक्ष में ज्यादा रुझान दर्शाया हैं।

जातीय या नस्लीय पृष्ठभूमि को अनदेखा कर दें तो डैमोक्रेट्स ट्रम्प की आप्रवासन नीतियों का भारी विरोध करते हैं। हालांकि, एशियाई (43 प्रतिशत) और अश्वेत (40 प्रतिशत) डेमोक्रेट्स प्रशासन के निर्वासन प्रयासों का समर्थन करते हैं, जबकि श्वेत (32 प्रतिशत) और हिस्पैनिक (27 प्रतिशत) डेमोक्रेट्स कम समर्थन दिर्शाते हैं। यह दर्शाता है कि राजनीतिक विचारों का जातीय और नस्लीय समूहों के भीतर भी गहरा प्रभाव है, जो अमेरिका में आप्रवासन मुद्दों पर गहरे ध्रुवीकरण को उजागर करता है।

जनता की ट्रंप की आप्रवासन नीतियों पर राय राजनीतिक रुझान के अनुसार काफी भिन्न है। रिपब्लिकन और रिपब्लिकन-झुकाव वाले स्वतंत्र लोगों में 74 प्रतिशत लोग महसूस करते हैं कि प्रशासन निर्वासन के मामले में उचित कदम उठा रहा है, जबकि केवल 12 प्रतिशत को लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है और 13 प्रतिशत का मानना है कि यह अत्यधिक है।

इसके विपरीत, 73 प्रतिशत डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स-झुकाव वाले स्वतंत्र लोग मानते हैं कि प्रशासन निर्वासन के मामले में बहुत अधिक कर रहा है। केवल 21 प्रतिशत डेमोक्रेट्स को लगता है कि प्रयास पर्याप्त हैं, जबकि केवल 4 प्रतिशत मानते हैं कि प्रशासन पर्याप्त नहीं कर रहा है।

भारत को यकीन है,...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वॉशिंगटन डी.सी., अमेरिका की आधिकारिक कामकाजी यात्रा पर पहुंचे।

यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकी कैबिनेट के सदस्यों और उद्योग जगत के नेताओं से मिलेंगे।

पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के बाद उनसे मिलने वाले चौथे विदेशी नेता होंगे।

मोदी ब्लेयर हाउस में ठहरे हैं। बुधवार शाम को प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने पर ब्लेयर हाउस के पास बड़ी संख्या में एकत्र हुए प्रवासी भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया।

जाने-माने चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं, बल्कि उनकी कंपनी आईपैक के जरिए। किशोर ने पिछली बार किशोर ने द्रमुक के लिए काम किया था।

इस आधार पर राजनैतिक विश्लेषक विजय और अन्नाद्रमुक के करीब आने की संभावना से इंकार नहीं कर रहे हैं। दोनों अपने वोटों को एकजुट कर सकते है। इससे द्रमुक की चिंताएं बढ़ सकती है।

सवाल यह है कि क्या एक्टर विजय और अन्नाद्रमुक (ई. पलानीस्वामी गुट) के बीच चुनावी समझौता हो सकता है?

राजनैतिक विश्लेषक हैरान हैं कि क्या प्रशांत किशोर दोनों को करीब लाकर आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व दोनों के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन करवा सकते हैं? राज्य में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

एक्टर विजय एक महीने से जनसंपर्क अभियान पर सड़कों पर घूम रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि अप्रैल में विजय तमिलनाडु का तूफानी दौरा करेंगे। युवा वर्ग को साधकर विजय तमिलनाडु की राजनीति में विपक्ष की जगह लेना चाहते हैं और अन्नाद्रमुक अपने खोए जनाधार को पुन: पाने के लिए काम कर रही है। भाजपा भी अपना जनाधार बढ़ा रही है। अगर ये तीनों अलग-अलग दिशा में आगे बढ़े तो निश्चित रूप से द्रमुक को लाभ होगा और द्रमुक नहीं चाहती कि विपक्षी ताकतों का पुनर्गठन हो।

पर, अभी तो शुरुआत है। विशेषज्ञ कहते हैं कि विजय और उनकी पार्टी अकेले लड़े तो विपक्ष के वोट बंटेंगे और द्रमुक को लाभ होगा।

वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश

लोकसभा में जेपीसी प्रमुख जगदंबिका पाल और राज्यसभा में सांसद मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की

- **इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।**

नई दिल्ली, 12 फरवरी। बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन संसद में वक्फ संशोधित बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने और लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। हालांकि, इसके बाद ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके कारण सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि समिति ने उनकी बात नहीं सुनी। तब इस विषय पर फिर से हंगामा हुआ।

राज्यसभा में रिपोर्ट पेश होने के बाद विपक्षी दलों के भारी हंगामा शुरू कर दिया। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट पेश होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल सहित कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरु कर दिया। हंगामा कर रहे सांसद आसन के निकट आ गए और नारेबाजी करने लगे।

हंगामे के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह राष्ट्रपति का एक संदेश सदन में पेश करना चाहते हैं। उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन में व्यवस्था बनाने की अपील की। इसके बावजूद हंगामा जारी रहा। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी।

धनखड़ ने कहा कि भारत की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति पद पर आसीन पहली आदिवासी महिला का संदेश है यह और इसे सदन में पेश न होने देना उनका अपमान होगा। धनखड़ ने हंगामा कर रहे सांसदों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और उन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

सुप्रीम कोर्ट ने "अवैध पत्नी" व "रखैल" जैसे शब्दों के इस्तेमाल के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट को फटकार लगाई

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा विवाह अमान्य होना कानूनी प्रक्रिया है पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप महिला को अवैध पत्नी कहे।**

नई दिल्ली, 12 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को फटकार लगाई। तलाक के मामले में हाईकोर्ट ने महिला के लिए "नाजायज़ पत्नी" और "वफादार मालकिन" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। शीर्ष अदालत ने इसे महिला विरोधी बताते हुए कहा कि ऐसी भाषा न केवल संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भी है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका, न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग पूरी तरह अनुचित है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि किसी महिला का विवाह अमान्य घोषित किया जाना एक कानूनी प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे "अवैध पत्नी" कहा जाए। अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 24वें पैराग्राफ में प्रयुक्त वफादार रखैल शब्द को भी कठोर शब्दों में खारिज किया।

शीर्ष अदालत ने इसे महिला अधिकारों और गरिमा का हनन बताया और कहा कि न्यायपालिका को अपने शब्दों के चयन में सतर्क रहना चाहिए, ताकि किसी भी वर्ग की गरिमा को ठेस न पहुंचे।

यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 और 25 से जुड़ा है। धारा 24 के तहत मुकदमे के लंबित रहने तक भरण पोषण और कार्यवाही के खर्च की व्यवस्था की जाती है, जबकि धारा 25 में स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में परस्पर विरोधी विचारों पर सुनवाई कर रहा था। पीठ ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से न्यायपालिका की निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों पर सवाल उठते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार चर्चा में है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि अदालतों को न केवल कानूनी प्रावधानों का पालन करना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके निर्णय और टिप्पणियां किसी भी व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं की गरिमा और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन न करें। इस फैसले से न्यायपालिका में संवेदनशीलता और भाषा की शुद्धता को लेकर एक नई बहस छिड़ सकती है।

ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 3 की मौत

भिंड, 13 फरवरी। मध्यप्रदेश के भिंड जिले के लहार अनुविभाग के बरहा गांव के नजदीक बीहड़ में एक पुल पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गयी। दुर्घटना में तीन महिलाओं की मौत हो गयी और एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए दतिया जिले के सेंवढ़ा

- **हादसा मध्यप्रदेश के भिंड जिले के बरहा गांव के पास हुआ। इसमें तीन महिलाओं की मौत हो गई व एक दर्जन लोग घायल हो गए।**

अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को ग्वालियर रेफर किया गया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार दतिया जिले के मगरौल गांव से ट्रैक्टर पर सवार होकर 30 से 40 लोग कल रात्रि एक शादी समारोह में भिंड जिले के लहार आ रहे थे। ये सभी लड़की पक्ष के लोग बताए जा रहे हैं।

समरावता में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता राजेश गोस्वामी ने अदालत को बताया कि इस मामले में चार एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और ऐसे में इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों ने उप चुनावों का बहिष्कार किया था और वे शांतिपूर्वक इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इस दौरान ही उन पर स्थानीय प्रशासनिक अफसरों व पुलिस अफसरों की ओर से दबाव बनाया गया और निर्दोष ग्रामीणों पर स्थानीय प्रशासन व पुलिस ने पत्थर फेंके। मामले में कोई कार्रवाई करने की बजाय पुलिस से उनके खिलाफ ही झूठी एफआईआर दर्ज कर ली। याचिका में कहा गया कि, प्रकरण में पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। इसलिए मामले की हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच कराई जाए। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की केस डायरी तलब की है।

गौतम अडानी ने श्रीलंका के एक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परियोजनाओं की समीक्षा कर रही है, जिन्हें अडानी समूह ने भारतीय सरकार के कूटनीतिक दबाव के तहत प्राप्त किया था।

कंपनी को दो परियोजनाओं में पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए कुल 1 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करना था और इसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनें बिछानी थीं।

अनुरा कुमारा प्रशासन अब इस परियोजना की समीक्षा कर रहा है। क्योंकि नए राष्ट्रपति बिजली की लागत को घटाना चाहते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी लि. (ए.जी.ई.एल.) ने कहा, "हालाँकि, हम श्रीलंका के प्रति प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में सहयोग के लिए तैयार हैं, यदि श्रीलंका सरकार चाहती है तो।"

तथापि, कोलंबो में, श्रीलंका के सबसे बड़े बंदरगाह प्रोजैक्ट में अडानी समूह अभी भी काम कर रहा है, जिसमें उसका 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर पैसा लगा हुआ है।

ए.ई.जी.एल. को मूल रूप से श्रीलंका के मन्नार और पूनरीयन क्षेत्रों में 484 मेगावाट की कुल क्षमता वाले दो पवन फार्म विकसित करने का कार्य सौंपा गया था, जिसमें 740 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाना था।

यह परियोजना, जो 2026 के मध्य तक पूरी होने वाली थी, को पर्यावरणीय समूहों के विरोध के अलावा श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में इकोलॉजिकल चिंताओं पर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

पिछले साल मई में, श्रीलंका की पूर्व सरकार ने प्रस्तावित अडानी पवन संयंत्र से 0.0826 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोवाट-घंटा की रेट से बिजली खरीदने पर सहमति दी थी।

तथापि, नई सरकार ने अडानी समूह के संस्थापक अध्यक्ष गौतम अडानी और उनके प्रमुख सहयोगियों के खिलाफ अमेरिकी अदालत में आरोप लगने के बाद अनुबंध की जांच शुरू कर दी थी। अडानी समूह पर आरोप था कि भारत में रिन्युएबल एनर्जी सप्लाई का अनुबंध प्राप्त करने के लिए उसने भारत में अधिकारियों को रिश्वत दी है।

जनवरी में, नई सरकार ने अडानी का पावर पर्चेज रद्द कर दिया और जांच शुरू कर दी। इसके बाद सरकार ने लागत को 0.06 अमेरिकी डॉलर प्रति यूनिट से नीचे लाने के लिए अनुबंध की शर्तों की समीक्षा और पुन: वार्ता करने का निर्णय लिया।

मांग को पूरा करने में असमर्थ, अडानी समूह प्रोजैक्ट से पीछे हट गया है।

समूह ने 12 फरवरी को यह कहते हुए श्रीलंकाई सरकार को अपना निर्णय सूचित किया, कि उसे यह जानकारी मिली है कि परियोजना के प्रस्ताव पर पुन: बातचीत के लिए कैबिनेट द्वारा नियुक्त दो समितियाँ गठित की जाएंगी।

ए.ई.जी.एल. के बोर्ड ने इस मुद्दे पर विचार किया और निर्णय लिया कि, कंपनी श्रीलंका के संप्रभु अधिकारों और उसके विकल्पों का पूरी तरह से सम्मान करती है, तथापि, वह इस परियोजना से सम्मानपूर्वक पीछे हटेगी।

मणिपुर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हिंसा की घटनाओं के कारण अस्थिरता की स्थिति बनी हुई थी। राज्य में हिंसा में करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हुए गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मानना है कि "ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें इस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती।"

'आर.पी.एस.सी. के अफसरों के पेपर लीक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाकर्ताओं द्वारा तब भी अदालत में नियुक्तियों को चुनौती नही दी गई। उन्होंने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद 16 दिसम्बर 2023 को नई सरकार ने घोषणा की थी कि पिछली गहलोत सरकार में आयोजित परीक्षाओं की जांच की जायेगी। इसके फलस्वरूप राज्य सरकार ने एस.आई.टी. का गठन किया और फरवरी-मार्च 2024 में मामले में पहली एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी।

उन्होंने कहा कि अधिकतर याचिकाकर्ता इस जांच में एस.आई.टी. की सहायता भी कर रहे थे, परंतु ना तो परिणाम जारी करने के बाद, ना ही एफ.आई.आर. दर्ज किये जाने के बाद इन याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। विज्ञान शाह ने अदालत को कहा कि याचिकाकर्ताओं ने लगभग डेढ़ साल तक कोई याचिका दायर नहीं की और जिस दिन (13 अगस्त 2024) एस.ओ.जी. की रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी गई। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह भी तथ्य छुपाये कि वह सभी परीक्षा में अभ्यर्थी थे और पुलिस और एस.ओ.जी में भी कर्मचारियों के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने यह तथ्य बताकर यह बताने की कोशिश की कि याचिकाकर्ता अवांछित कारणों से प्रेरित होकर याचिका दायर कर रहे हैं और इनमें से कई याचिकाकर्ताओं ने लिखित परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की गुहार नहीं की है, क्योंकि वह लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण थे और वह स्वयं लाभार्थी रहेंगे अगर साक्षात्कार में कई उच्च रेंक वाले अभ्यर्थियों को हटा दिया जाये। हालांकि, सभी याचिकाकर्ताओं ने दस मई भर्ती परीक्षा-2022 को पूर्णत: रद्द करने की गुहार की है।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पहले दिन से ही राज्य सरकार ने मामले की जांच शुरू करने के लिये एस.आई.टी. गठित कर दी थी और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जांच करवा रही है, परंतु जांच में यह तथ्य सामने आना कि आर.पी.एस.सी. के अफसर भी पेपरलीक में शामिल हो सकते हैं या हैं, से मामला जटिल हो गया है क्योंकि आर.पी.एस.सी. के अफसरों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराई गई जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह का कहना था कि अगर राज्य सरकार तुरंत ही परीक्षा निरस्त करती है तो गिरफ्तार किये गये अफसरों की देखरेख में आर.पी.एस.सी.द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जायेगा और फिर सरकार को उन सभी परीक्षाओं को भी निरस्त करना पड़ सकता है।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के समक्ष रिट पिटीशन 13 अगस्त 2024 को दायर की गई थी लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त को हुआ था। तथ्यों के अनुसार, 31 अगस्त को अधिकारी रामू राम रायका की पुत्री और बेटे को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था फिर 1 सितम्बर का रामूराम रायका को गिरफ्तार किया गया था। फिर 2 सितम्बर को आर.पी.एस.सी. अफसर बाबू लाल कटारा को भी गिरफ्तार किया गया था। यहां गौर फरमाने योग्य है कि दोनों गिरफ्तारियों के बाद भी महाधिवक्ता ने 5 सितम्बर 2024 को गृह विभाग को अपनी विधिक सलाह दी थी कि परीक्षा को रद्द किया जा सकता है जो गृह विभाग को 14 सितम्बर को मिली थी।

मामले से जुड़े अधिवक्ताओं का कहना है कि महाधिवक्ता के समक्ष इस मामले की जांच और कानूनी जटिलताओं की संपूर्ण पृष्ठभूमि स्पष्ट थी और इसके बावजूद उन्होंने परीक्षाओं को रद्द करने की सलाह दी। इन अधिवक्ताओं का कहना था कि परीक्षा को रद्द करने और उसे आर.पी.एस.सी. के अफसरों को हटाने के साथ क्यों उलझाया जा रहा है। राज्य सरकार के यह रुख अपनाने से हाई कोर्ट के गलियारों में और आमजन में भी यह आशंका फैल रही है कि याचिका खारिज करते ही सरकार जांच और गिरफ्तारियों के सिलसिले में ढिलाई लायेगी। उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार के दौरान रीट पेपर लीक को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने अपनी देखरेख में इसकी जांच एस.डी.जी. के अफसर अशोक राठौड़ को सौंपी थी।

सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के लिप्त होने का भी जिक्र किया गया था।

हालांकि अंत में अदालत ने ए.डी.जी. अशोक राठौड़ की जांच को संपूर्ण मानते हुए याचिका इस आदेश के साथ खारिज कर दी थी कि मामले की जाँच जारी रहेगी और सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जायेगा। परन्तु, याचिकाओं के बाद किसी भी बड़े अफसर या नेता की गिरफ्तारी नहीं की गई। और ना ही पेपर लीक के सरगनाओं को पकड़ा गया। वर्तमान में भी यह चर्चा होना कि याचिकाओं के खारिज करने के बाद किसी भी बड़े अफसर की गिरफ्तारी नहीं होगी।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908